कार्यालय नगर निगम सहारनपुर

पत्रांक 37 उ0वि0 /न0नि0 सहा0 दिनांक– 22/05/2018

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम सहारनपुर के अधीन महावीर बाजार मे अन्सारी रोड से चौकी सराय का पुनः निर्माण व पुराने मझली बाजार में स्थित पेडों/वृक्षों जहा है जैसा है कि स्थिति में सर्वजनिक नीलामी के माध्यम से खुली बोली के आधार पर दिनांक 12-06-18 को दोपहर 12:00 बजे नगर निगम कार्यालय के परिसर में की जायेगी। जो ठेकेदार इस नीलामी में भाग लेना चाहते है। वे अपने फोटो पहचान युक्त दस्तावेज के साथ अंकन 1180–00 रूपये का डी0डी0 जो कि लेखाधिकारी नगर निगम, सहारनपुर के नाम देय होगा तथा अंकन 25,000/– रूपये की धरोहर राशि डी0डी0 के रूप में लेखाधिकारी नगर निगम सहारनपुर के नाम बन्धक के रूप में जमा करनी होगी। जो नगर निगम कार्यालय में दिनांक 12-06-18 को प्रातः 11:00 बजे तक कार्यालय उद्यान विभाग नगर निगम, सहारनपुर में जमा कर अपना पंजीकरण कराना अवश्य होगा। निर्धारत समय के बाद किसी भी दशा में पंजीकरण की कार्यवाही नहीं की जायेगी। पेडों/वृक्षो की सूची का विवरण निम्न प्रकार है–

1.	पीपल	04
2.	एलेस्टोनिया	01
3.	बड	01
4.	बेरी	01
5.	शहतूत	01
6.	बकेन	02
	कुल	10

नीलामी की शर्ते निम्न प्रकार है–

1. सर्वोच्च बोलीदाता को स्वीकृत नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि उसी दिन जमा करनी अनिवार्य होगी।
2. ठेकेदार द्वारा समस्त धनराशि जमा कराने के उपरान्त ही कटान एवं उठान की अनुमति प्रदान की जायेगी।
3. ठेकेदार द्वारा पेडों को काटने की अनुमति वन विभाग से स्वंय ही लेनी होगी तथा जा भी प्रतिबन्धित प्रजाति के पेड है उनका शुल्क वन विभाग में स्वंय जमा करना होगा।
4. ठेकेदार को नीलामी होने के दिनांक से 10 दिन के भीतर नीलाम हुए पेडो/वृक्षों की कटाई एवं उठान स्वंय करना अनिवार्य होगा।
5. ठेकेदार को स्वीकृत नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि नीलामी के समय ही नगर निगम कार्यालय के कोषगार में जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर नीलामी को निरस्त करते हुए तथा धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी। यदि जब्त की गई धनराशि दूसरे अधिकतम बोलीदाती की धनराशि सम्मिलित करने पर उच्चमत बोली के बराबर अथवा उससे अधिक पायी जाती है तो दूसरे अधिकतम बोली बोलने वाले के पक्ष में नीलामी स्वीकृत की जा सकती है अन्यथा की दशा में पुनः नीलाम की कार्यवाही की जायेगी।
6. नीलाम की स्वीकृति के पश्चात नीलाम किये गये पेडों/वृक्षों एवं उनकी लकडी के देख–रेख का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। किसी प्रकार की चोरी अथवा प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति से विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
7. ठेकेदार द्वारा पेडों/वृक्षों उनकी लकडी की देख–रेख व कटान करने वाले व्यक्तियों का पूर्ण विवरण पहचान युक्त दस्तावेज नगर निगम कार्यालय के उद्यान विभाग में जमा करना अनिवार्य होगा।
8. नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात ठेकेदार को 100–00 रूपये मूल्य के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का इकरारनामा की पुनः नीलामी की सभी शर्ते स्वीकार है। पब्लिक नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. ठेकेदार द्वारा सूखे पेडों/वृक्षों व उनकी लकडी के निस्तारण के पूर्व वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1978 के प्रावधानों के अन्तर्गत वृक्ष पातन अनुज्ञा एवं ढुलान हेतु उ0प्र0 वन रोपण अभिवहन नियमावली 1978 के प्रावधानों के तहत अभिमत पत्र भी सम्बन्धित विभाग से प्राप्त किया जायेगा।

10 नीलामी के उपरान्त केता अर्थात ठेकेदार पातन अनुज्ञा, निर्धारित पातन शुल्क जमा करने के उपरान्त वन विभाग से नियमानुसार प्राप्त करके ही पातन कार्य करेंगे, अन्यथा की दशा में वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 (यथा संशोधित वर्ष 2000) की धारा 4/10 एवं अभिवहन नियमावली की धारा 3/28 के दण्ड के भागीदारी होगें।

11 ठेकेदार द्वारा विकय मूल्य अर्थात स्वीकृत उच्चतम बोली के अतिरिक्त अन्य कर, व्यापार कर, आयकर, स्टाम्प शुल्क, मण्डी शुल्क एवं पातन अनुज्ञा शुल्क, अग्रिम अभिवहन शुल्क एवं धन रजिस्ट्रेशन शुल्क सम्बन्धित विभागों से जानकारी के अनुसार जमा करना अनिवार्य है।

12 यदि किसी कारणवश नीलाम की कार्यवाही में उठे विवाद को न्यायालय तक ले जाना आवश्यक हो तो न्याय क्षेत्र जनपद सहारनपुर ही होगा।

13 बिना कोई कारण बताये नीलाम को निरस्त करने का अधिकार समिति को सर्वाधिकार रूप से सुरक्षित होगा।

14 नीलामी के समय नीलामी कक्ष में ठेकेदार अथवा उसके एक मात्र प्रतिनिधि को उपस्थित होने की अनुमति दी जायेगी, जिसका की पंजीकरण हो चुका है।

15 किसी भी ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को नगर निगम कार्यालय के उद्यान विभाग में अस्त्र-शस्त्रों समेत आने की अनुमति नहीं है। मात्र विकलांग एवं बुर्जुग व्यक्तियों को अधिकतम 4 फुट के लकडी के डण्डे को, यदि वह अपने सहायता/सहारे हेतु आवश्यक समझें, तो ला सकता है।

16 अन्य कोई शर्त यदि है तो नीलामी कार्यवाही करने से पूर्व मौखिक रूप ये दोपहर 12:00 बजे सूचित कर दी जायेगी

रिकार्ड प्रभारी

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मा0 महापौर की सेवा मे सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. लेखाधिकारी महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रबन्धक दैनिक ...[illegible]... एवं ...[illegible]... समाचार पत्र को इस आशय से उक्त सूचना का प्रकाशन अपने समाचार पत्र में कम से कम स्पेस में डी.ए.वी.पी. दर पर प्रकाशित कर, बिल सहित 07 प्रतियां सहित भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
7. श्री कुलदीप कुमार को अपलोड करने हेतु।
8. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
9. गार्ड फाईल हेतु।

रिकार्ड प्रभारी
नगर निगम, सहारनपुर